

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-5/भर्ती प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांक: प.16(60)का./क-5/भप्र/2024

जयपुर, दिनांक:

**आदेश**

राज्यस्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन जोधपुर जिला मुख्यालय पर एवं सभी जिला मुख्यालयों पर दिनांक 12.12.2024 को आयोजित किया जाना है। आयोजित होने वाले उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु संबंधित विभागों द्वारा नियुक्ति एवं विज्ञापन दोनों के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है, जिनमें महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

**1. नियुक्ति:-**

- **नियमित नियुक्ति**- संलग्न विवरण पत्र में वर्णित विभागों द्वारा दिनांक 12.12.2024 को दी जाने वाली नियुक्तियों का जिलेवार विवरण कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कार्मिक विभाग को **दिनांक 09.12.2024 को मध्याह्न पूर्व** तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
- **परिणाम जारी**- प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के ऐसे पद जिनके परिणाम अभी जारी होने हैं, संबंधित विभाग उन पदों के परिणाम संबंधित भर्ती एजेंसी से समन्वय स्थापित कर शीघ्र जारी करावें, ताकि इन्हें भी दिनांक 12.12.2024 तक नियुक्ति प्रदान की जा सके।
- **पदस्थापन व नियुक्ति पत्र**- विभागों द्वारा जिन पदों के लिए समस्त आवश्यक नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं, ऐसे पदों पर अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले नियुक्ति पत्र पूर्व से ही तैयार कर लें, ताकि रोजगार मेला दिवस पर नियुक्ति पत्र वितरण में किसी भी प्रकार की समस्या पैदा न हो।
- **मध्यवर्ती रूप से नियुक्ति**- दिनांक 18.09.2024 के पश्चात् दी गई नियुक्तियों में कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों का जिलेवार विवरण कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कार्मिक विभाग को **दिनांक 09.12.2024 मध्याह्न पूर्व** तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
- **अनुकम्पा एवं शहीद आश्रितों को नियुक्ति**- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनुकम्पा एवं शहीद आश्रितों (पूर्व आयोजित रोजगार उत्सव में शामिल किया जा चुका को छोड़कर) को दी गई नियुक्तियों का जिलेवार विवरण कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कार्मिक विभाग को **दिनांक 09.12.2024 मध्याह्न पूर्व** तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
- **संविदात्मक नियुक्ति**- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दी गई संविदा आधारित नियुक्तियों में कार्यग्रहण करने वाले एवं दिनांक 12.12.2024 को दी जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों का जिलेवार विवरण कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कार्मिक विभाग को **दिनांक 09.12.2024 मध्याह्न पूर्व** तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
- समस्त विभाग प्रदत्त नियुक्तियों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसका लिंक कार्मिक विभाग के साथ साझा करें।
- समस्त जिला कलक्टर प्रस्तावित रोजगार **राज्य रेफ 12229667** को दी जाने वाली नियुक्तियों की सूचना को जिले की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करावें।



- उक्त रोजगार मेले का नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.06.2024 में उल्लेखित निर्देशों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पालना सुनिश्चित करें।

## 2. विज्ञापन:-

- ऐसी भर्तियां जिनमें वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, संबंधित विभाग अविलम्ब भर्ती एजेंसी को अर्थना प्रेषित करें तथा **भर्ती एजेंसी दिनांक 12.12.2024 को विज्ञापन जारी** करवाना सुनिश्चित करें।
- यदि वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, तो भी संबंधित विभाग अर्थना का प्रारूप अनौपचारिक रूप से भर्ती एजेंसी को अवलोकनार्थ प्रेषित करें। **भर्ती एजेंसी वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही अर्थना का समुचित परीक्षण कर विज्ञापन जारी करना सुनिश्चित करें।**
- संविदा आधारित विचाराधीन भर्तियों को भरने के संबंध में संबंधित विभाग भर्ती एजेंसी को अर्थना प्रेषित कर दिनांक 12.12.2024 को विज्ञापन जारी कराना सुनिश्चित करें।

## 3. अन्य निर्देश:-

- **संवाद-** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रोजगार दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संवाद किये जाने वाले अभ्यर्थियों की जिला कलक्टर एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर सूची तैयार कर लें तथा इसकी पूर्व सूचना संबंधित को प्रेषित करें।
- **किट-** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली स्वागत किट संबंधी पूर्ण तैयारियां सुनिश्चित की जावे।
- **मिनट टू मिनट-** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रोजगार दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम सक्षम स्तर के अनुमोदन उपरान्त संबंधित के साथ साझा करें।

(डॉ. कृष्णा कान्त पाठक)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
12229667

शासन सचिव